

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)  
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दां०प्र०क०-201 / 16

संस्था०दि० 05 / 05 / 2016

फाईलनं.233504001072016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,

आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

1. चन्द्रभान पिता पंढरी, उम्र 36 वर्ष,  
पेशा मजदूरी, ग्राम तिरमहू
2. भगवन्त पिता सनतराव, उम्र 28 वर्ष  
पेशा मजदूरी, ग्राम सोनतलाई,  
दोनों-थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-05 / 10 / 2016 को घोषित)

01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा-324 / 34 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 29 / 09 / 16 समय रात्रि 11.00 बजे इसके पूर्व से ग्राम सोनतलाई से सेमरिया जोशी रोड राज कोसे के घर के सामने सोन भोज आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत आपने सहअभियुक्तगण के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी राजेन्द्र कोसे को किसी धारदार जैसी चीज से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02— दिनांक 28 / 09 / 16 को फरियादी राजेन्द्र कोसे तथा अभियुक्तगण चन्द्रभान, भगवन्त का राजीनामा होने से धारा 294, एवं 506 भाग-2 भा०दं०वि० के अपराध के आरोप में उन्मोचित किया गया।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम सोनतलाई में रहता है। मजदूरी करता है। रोड निर्माण के ठेकेदार भगवतीशर्मा की साईड के केम्प पर चौकीदारी करता है। दिनांक 29.04.16 को वह साईड पर देखने गया था तभी चन्द्रभान और

भगवन्तराव मिले पिछले किराना दुकान के पैसो के लेन देन पर से दोनों बहनोई ने उसके साथ गंदी-गंदी गली गुप्तार किया। मना करने पर उसके साथ दोनों ने मारपीट किया एवं चन्द्रभान के हाथ में कोई लकड़ी धारदार जैसी कोई चीज थी जिससे भी मारपीट किया जो अंधेर में उसने स्पष्ट नहीं पहचान पाया। मारपीट से उसे दाहिने हाथ की कोहनी में नीचे चोट लगी और भुजा में एवं अन्य जगह मूदी चोट लगी है। दोनों धमकी दे रहे थे कि अब हमसे उलझेगा तो जान से खतम कर देंगे झगडा बन्टी तायवाडे ने देखा है।

04— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 208/16 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि0 की धारा 294, 323,324,34, 506 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 01/05/16 को घटना का नक्शा मौका प्र0पी0-2 बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। दिनांक 03/05/16 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

“आपने दिनांक 29/09/16 समय रात्रि 11.00 बजे इसके पूर्व से ग्राम सोनतलाई से सेमरिया जोशी रोड राज कोसे के घर के सामने सोन भोज आमला, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत आपने सहअभियुक्तगण के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी राजेन्द्र कोसे को किसी धारदार जैसी चीज से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

**—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**

**—: विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण**

07— अभियोजन साक्षी राजेन्द्र (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि

आरोपीगण ने दुकान के पेसे को लेकर विवाद किया था। उसे गंदी-गंदी गालियाँ देकर हाथ मुक्कों से मारपीट किया था। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना में किया था। पुलिस ने उसका डॉक्टरी मुलाहिजा करवाई थी। पुलिस जांच करने मौके पर आई थी मौका नक्शा प्र0पी0 2 तैयार किया जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। शासन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने नुकीली वस्तु से हाथ पर मारा था जिससे चोट आई थी।

08— आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र0पी0 3 का ए से ए भाग लेख कराया था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि सहअभियुक्तगण के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी राजेन्द्र कोसे को किसी धारदार जैसी चीज से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न से भा0दं0वि0 की धारा 324/34 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

09— अभियोजन साक्षी बंटी (अ.सा.2) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

10— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि सहअभियुक्तगण के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी राजेन्द्र कोसे को किसी धारदार जैसी चीज से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

11— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि सहअभियुक्तगण के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी राजेन्द्र कोसे को किसी धारदार जैसी चीज से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्तगण चन्द्रभान, भगवंत को भा0दं0वि0 की धारा-324/34 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— अभियुक्तगण के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

13— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति एक बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित।  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०